Speed Post

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. Odisha/1/Rourkela Steel plant /2016/RU-III **Date: 27.11.2019**

To,

1. Chief Secretary,
   Govt. of Odisha,
   Bhubaneswar (Odisha)
2. The Chairman,
   Steel Authority of India,
   Ispat Bhawan, Lodhi Road
   New Delhi -110033
3. Principal Secretary,
   Revenue & Disaster Department,
   Govt of Odisha,
   Surya Nagar, Bhubaneswar (Odisha) 751025
4. The Commissioner – Cum – Secretary,
   SCs & STs Development Deptt.,
   Govt. of Odisha,
   Bhubaneswar (Odisha)
5. The Collector,
   District Sundargarh,
   Odisha
6. Chief Executive Officer,
   Steel Plant, Rourkela,
   Sundargarh (Odisha)

Sub: Minutes of the Sitting taken by Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, NCST on 18.10.2019 on the issue of ~~by~~ Implementation of Recommendations of the Commission on Rehabilitation Resettlement and employment of Displaced ST families.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Proceedings of the Sitting taken by Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 18-10-2019 for information and necessary action.

It is, requested that action taken report in this regard may please be sent to the Commission within one month.

Encl: As above

Yours faithfully

(R. K. Dubey)
Assistant Director

Copy to:

1. Shri Lachhu Oram, Village Tangarpali (Somra Basti) Post Tangrapali, Rourkela District Sundargarh (Odisha)
2. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- Odisha/1/Rourkela Steel Plant /2016 /RU-III)

श्री लच्छू उरांव और अन्य द्वारा राउरकेला इस्पात संयंत्र (पूर्व में हिंदुस्तान इस्पात संयंत्र) की स्थापना से विस्थापित अनुसूचित जनजातियों के पुनर्स्थापन और रोजगार संबंधी समस्या के विषय में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 18.10.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 18.10.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री लच्छू उरांव और अन्य द्वारा राउरकेला इस्पात संयंत्र (पूर्व में हिंदुस्तान इस्पात संयंत्र) की स्थापना से विस्थापित अनुसूचित जनजातियों के पुनर्स्थापन और रोजगार संबंधी समस्या के विषय में आवेदन दिया था।
2. प्रकरण में दिनांक 22.11.2018 को आयोग द्वारा बैठक आहूत की गई थी जिसमें निम्नलिखित अनुशंसा की गई थी :-
   - विस्थापित परिवारों की समस्याओं के निवारण तथा उनको रोजगार के संबंध में उत्पन्न समस्या यथा :- फर्जी दस्तावेज के आधार पर रोजगार प्राप्त 405 लोगों की जांच के लिए आयोग द्वारा जांच कमेटी बनाकर जांच की जाए। इस कमेटी को जिला प्रशासन तथा इस्पात संयंत्र द्वारा समुचित सहयोग और अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं।
   - जनजाति समुदाय द्वारा सरना स्थल की पूर्व स्थिति बरकरार रखते हुए वहां पूजास्थल के रूप में की जानेवाली गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी जाए।
3. उक्त निर्णय के पालन में सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष एवं श्री एच.के.डामोर, माननीय सदस्य के दल ने दिनांक 27.06.2019 से 29.06.2019 तक सुंदरगढ़ जिले का दौरा किया एवं इस्पात संयंत्र व जिला कलेक्टर, सुंदरगढ़ सहित विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक की जिसका कार्यवृत्त सभी संबंधितों को पत्र संख्या File No. 16/5/Review/Odisha/2017/RU-III दिनांक 21.08.2019 के द्वारा भेजा गया।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

4. प्रकरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राउरकेला स्टील प्लांट (ओडिशा) और जिला कलेक्टर, सुंदरगढ़ से कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर पुनः अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 18.10.2019 को 15.00 बजे बैठक आहूत की गई। इस संबंध में दिनांक 03.10.2019 को मुख्य सचिव, (ओडिशा शासन), अध्यक्ष, (सेल), प्रधान सचिव, राजस्व व आपदा विभाग (ओडिशा शासन), कमिश्नर सह सचिव, (एसटी/एससी विकास विभाग), जिला कलेक्टर, सुंदरगढ़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (स्टील प्लांट राउरकेला) व सचिव, इस्पात मंत्रालय को बैठक की नोटिस जारी किया गया।
5. बैठक में आयोग द्वारा पहले अभ्यावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया। अभ्यावेदक लच्छू उरांव द्वारा पहले सरना की जमीन का मामला उठाया गया। उन्होंने बताया कि पिछली बैठक में सरना की जमीन को राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) द्वारा वापस लौटाने को कहा गया था लेकिन अभी तक उन्हें जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया गया है।
6. बैठक में उपस्थित सेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि 7.62 एकड़ जमीन राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी जाएगी, इसके लिए सेल बोर्ड की मंजूरी मिल गई है।
7. इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने भी बताया कि सेल बोर्ड से जमीन देने की मंजूरी मिल गई है। मामला वित्त मंत्रालय में गया है। मंत्रालय में लगभग डेढ़ से दो माह का समय लगेगा और उस जमीन को सरना पूजा स्थल के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा जमीन समिति को हस्तांतरित कर दी जाएगी।
8. अभ्यावेदक ने अगला मुद्दा उठाते हुए बताया कि विस्थापित लोगों को अभी तक आरएसपी द्वारा नौकरी नहीं दी गई। वर्ष 2009 में उनका चयन हुआ था लेकिन आज 2019 भी समाप्त हो रहा है उन्हें आज तक नौकरी नहीं मिली। उनकी उम्र 40 साल हो गई अब दूसरी जगह नौकरी नहीं मिलेगी। वे इसी के भरोसे थे।
9. सेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि दिनांक 11.03.1993 को कराए गए सर्वे के अनुसार विस्थापित परिवारों के 1098 लोगों को रोजगार देने के लिए चिह्नित किया गया था। इसमें राउरकेला और मंदिरा बांध के विस्थापित शामिल थे। इनमें से 878 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। इसके अलावा कुछ लोगों का प्रशिक्षण चल रहा था और 86 लोगों के एक बैच को नौकरी देने की प्रक्रिया चल रही है। इस सूची में बाकी बचे 116 लोगों को राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित (Sponsor) किया जाना है।
10. कलेक्टर, सुंदरगढ़ ने बताया कि 116 लोगों की सूची को राज्य सरकार द्वारा भेजा जा चुका है।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

11. प्रधान सचिव, राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग (ओडिशा शासन) ने बताया कि विस्थापितों की सूची में नौकरी के लिए बाकी बचे 116 लोगों का नाम तो है लेकिन वे लोग वास्तव में हैं ही नहीं। कुछ लोगों का दो बार नाम डाला गया है और फर्जी है। 614 नाम दुबारा सर्वे सूची में आया है। एडीएम, राउरकेला द्वारा कहा गया है कि 1098 की सूची के बाहर के लोगों को प्रायोजित (Sponsor) नहीं किया जाएगा। लच्छू उरांव का नाम दूसरी सूची में है जिसमें 614 लोगों का नाम है।

12. सेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि इस मामले में अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल की भी राय ली गयी है जिसमें कहा गया कि 1098 की सूची से बाहर के लोगों को नौकरी नहीं दी जाएगी। इस सूची के अनुसार 116 लोगों के नाम रोजगार के लिए बचे हैं, राज्य सरकार इसकी जांच कर ले और इसे स्वीकृत कर दे तो उन्हें नौकरी मिलेगी।

13. अभ्यावेदक ने बताया कि प्रधान सचिव, ओडिशा शासन और स्थानीय सीओ (आरएसपी) द्वारा दिनांक 13.12.2013 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दुबारा सर्वे किया जाए। इस सर्वे में 614 लोगों का नाम चिह्नित किया गया।

14. प्रधान सचिव, राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग (ओडिशा शासन) ने बताया कि यह निर्धारित किया जाना महत्वपूर्ण है कि सेल इसमें न्यायिक आधार लेना चाहता है या मानवीय आधार लेना चाहता है। यह सूची खत्म नहीं होनेवाली है, 614 की सूची को अगर सेल मान भी लेता है तो इसके बाद अन्य लोग पुनः नौकरी के लिए आएंगे। वहां लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी चाहिए। उनका कहना है कि अगर जमीन होती तो उनके दादा से उन्हें मिलती लेकिन नौकरी तो उनके साथ ही खत्म हो जाएगी। अगर 116 (खाली बची सीटों पर) नौकरी दी जाए तो दूसरी सूची 614 लोगों की है। इस 614 की सूची में 116 लोग कौन से होंगे इसका चयन कैसे होगा यह विचारणीय है।

15. अभ्यावेदक ने बताया कि सुंदरगढ़ जिले में विस्थापित परिवारों की संख्या 4094 थी, 11.03.1993 की सर्वे के अनुसार 1098 की सूची बनी थी। इस सूची के अतिरिक्त 405 लोगों को नौकरी दी गई। सूची के अतिरिक्त अन्य लोगों को किस आधार पर आरएसपी के द्वारा नौकरी दी गई है।

16. सेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि वर्ष 1973 में पी.एन सिंह फार्मूला के अनुसार कुछ लोगों को नौकरी दी गई।

17. अभ्यावेदक के द्वारा अन्य मुद्दा उठाते हुए बताया गया कि राउरकेला स्टील प्लांट के द्वारा अधिग्रहित की गई बहुत सी जमीन खाली पड़ी है उसे अनुसूचित जनजातियों को वापस लौटाया जाना चाहिए। आयोग द्वारा पूर्व में की गई अनुशंसाओं पर भी राज्य सरकार, जिला प्रशासन एवं इस्पात संयंत्र कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

18. इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बताया कि राउरकेला स्टील प्लांट को 16 हजार एकड़ जमीन दी गयी थी। वर्ष 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार जमीन का अधिग्रहण किया गया था, उसमें उपयोगहीन जमीन को वापस लौटाने का प्रावधान नहीं था। वर्ष 2013 के नए कानून में जमीन वापस लौटाने का प्रावधान है।

19. अभ्यावेदक ने कहा कि अधिग्रहित की गई जमीन जिसका उपयोग सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है उसे वापस लौटाया जाना चाहिए तथा उसका मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। अगला मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि विस्थापितों के कुछ गांव ऐसे हैं जो न तो ग्राम पंचायत में आते हैं और न ही नगर परिषद में आते हैं। वहां कोई सुविधा नहीं है।

20. इस्पात मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि उन गांवों को ग्राम पंचायत में शामिल करने के लिए राज्य सरकार को अनुरोध भेज दें। यह राज्य सरकार और राउरकेला स्टील प्लांट की संयुक्त जिम्मेदारी है कि विस्थापित लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। राउरकेला स्टील प्लांट अपने सीएसआर फंड का उपयोग क्षेत्र के विकास के लिए करना चाहिए।

21. प्रधान सचिव, राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग (ओडिशा शासन) ने कहा कि कंपनी द्वारा वापस लौटाई गई जमीन को लोगों को वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार द्वारा विकास कार्य के लिए उसका उपयोग किया जाता है।

22. अभ्यावेदक ने कहा कि 5,000 एकड़ जमीन राज्य सरकार को वापस किया गया है, सरकार द्वारा उक्त जमीन को निजी लोगों को दिया गया है और उस पर प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनी बनाया गया है।

23. ओडिशा सरकार के अधिकारी ने बताया कि जमीन का आवंटन कानूनी तरीके से ही किया गया है। राज्य सरकार जमीन का उपयोग विकास कार्यों के लिए कर सकती है।

24. मामले में आयोग द्वारा सभी पक्षों को सुनने के पश्चात निम्नलिखित अनुशंसा की गई :-

- सरना पूजास्थल की 7.62 एकड़ जमीन जल्द से जल्द सरना समिति को हस्तांतरित किया जाए। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा समिति को उक्त जमीन पर वास्तविक कब्जा दिलाया जाए।
- आरएसपी में नौकरी दिए जाने के मामले की एक अलग से कमेटी बनाकर जांच की जाए और आरएसपी तथा राज्य सरकार 1098 की सूची के बाहर जाकर भी बाकी 614 लोगों की सूची से रोजगार देने की कार्रवाई करे क्योंकि 1098 की सूची भी त्रुटिपूर्ण थी। इस संबंध में न्यायपालिका को सही तथ्यों से अवगत कराते हुए बचे हुए लोगों को प्रक्रियानुसार रोजगार दिया जाए।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

- राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन जिसका उपयोग राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा उपयोग नहीं किया गया है और खाली पड़ी है उसे विस्थापित परिवारों को वापस लौटाना चाहिए।
- जिला प्रशासन द्वारा विस्थापितों के गांवों को चिह्नित करके ग्राम पंचायत में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनको बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हो सके।
- राज्य सरकार द्वारा निजी पार्टियों को गलत तरीके से आवंटित 5,000 एकड़ जमीन का आवंटन रद्द किया जाना चाहिए। उक्त जमीन को अनुसूचित जनजातियों को वापस लौटाया जाना चाहिए।
- टाउनशिप में दुकानों के आवंटन में भी विस्थापितों को प्राथमिकता एवं आरक्षण दिया जाना चाहिए।

10.11.19

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- Odisha/1/Rourkela Steel Plant /2016 /RU-III)

श्री लच्छू उरांव और अन्य द्वारा राउरकेला इस्पात संयंत्र (पूर्व में हिंदुस्तान इस्पात संयंत्र) की स्थापना से विस्थापित अनुसूचित जनजातियों के पुनर्स्थापन और रोजगार संबंधी समस्या के विषय में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 18.10.2019 को आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मियों की सूची-

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
  - (1.) डॉ. नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष
  - (2.) श्री एस.के डामोर, माननीय सदस्य
  - (3.) श्री एस.के.रथ, संयुक्त सचिव
  - (4.) डॉ ललित लट्टा, निदेशक
  - (5.) श्री आर.के दुबे, स. निदेशक
  - (6.) श्री आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक
- **इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार**
  - (1.) श्री पुनीत कंसल, संयुक्त सचिव
  - (2.) श्री जी.पी. मीणा, निदेशक
- **सेल के अधिकारी**
  - (1.) श्री दीपक चतराज, सीईओ, आरएसपी
  - (2.) श्री अतुल श्रीवास्तव, निदेशक (कार्मिक)
- **ओडिशा शासन के अधिकारी**
  - (1.) श्री निकुंज बी. धाल, प्रधान सचिव, राजस्व व आपदा प्रबंधन
  - (2.) श्री सचिन जाधव, निदेशक
- **कलेक्टर कार्यालय, सुंदरगढ़ (ओडिशा)**
  - (1.) श्री निखिल पवन कल्याण, जिला कलेक्टर
- **अभ्यावेदक**
  - (1.) श्री लच्छू उरांव